भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 894
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>वेतन को विनियमित करना</u>

894. श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म निर्माण, उपग्रह तथा प्रसारण अधिकार स्वामित्व वाले विभिन्न टेलीविजन मीडिया नेटवर्क/फिल्म वितरण कंपनियों द्वारा उऩके निदेशकों/निर्माताओं/कलाकारों को दिए जा रहे असाधारण वेतन पैकेजों पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार इन असाधारण पैकेजों को विनियमित और इनकी निगरानी करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किस तरह से किया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : एक सूचीबद्ध कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा अपने निदेशकों को देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित (अधिनियम) कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के तहत नियंत्रित किया जाताहै। इन उपबंधों के संबंध में, कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक, कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक कंपनी सामान्य बैठक में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से पारिश्रमिक का भुगतान

उपर्युक्त सीमा से अधिक प्राधिकृत नहीं करती। अन्य कर्मचारियों के वेतन इस अधिनियम के तहत नियंत्रित नहीं है।

*****